मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 1995 (चैत्र 2, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 1992 से दिनांक 30 जून, 1993 तक) ;

(ख) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का छब्बीसवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 (दिनांक 1 जुलाई, 1993 से दिनांक 30 जून, 1994 तक) ;

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 ;

(घ) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का एकादशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 ;

(ङ.) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आपत्तियों के उत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1991-92, अंकेक्षित वार्षिक लेखा पत्रक (दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से दिनांक 31 मार्च, 1992 तक) वर्ष 1991-92, अंकेक्षण प्रतिवेदन (आपत्तियों के उत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा अंकेक्षित आय-व्यय वृत्तांत (दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से दिनांक 31 मार्च, 1993 तक) वर्ष 1992-93 ;

(च) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक लेखा वर्ष 1991-92, लेखा वर्ष 1991-92 का संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा वर्ष 1992-93 तथा दिनांक 30 जून, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन ;

(छ) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग-1 वर्ष 1992-93, अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग-1 वर्ष 1993-94 तथा दिनांक 30 जून, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994 ; एवं

(ज) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा वर्ष 1992-93 का भाग-1, अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा वर्ष 1993-94 का भाग-1, 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 1993 से 30 जून, 1994 तक) तथा आय-व्यय लेखा वर्ष 1992-93 एवं 1993-94,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. ढालसिंह बिसेन, श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के एक कुख्यात अपराधी से गैर कानूनी ढंग से आत्म समर्पण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, कैलाश कुण्डल, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा विद्या नगर क्षेत्र में महंगी दर पर भूखण्डों का विक्रय किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्कीसवां, बाइसवां, तेइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां एवं अट्ठाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 7 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 8 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री महेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 3 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 1995